


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>बनाम..... <u>किशोरी देवी</u></p> <p>राम किलाडी मु.नं. 14/22 T.I.</p>	
	<p><u>20/3/25</u> दगावली पेश हुई। पक्षकारान को वार-2 आवाज खिलाई गई। उग्रप पक्ष अनुपस्थित रहे। दगावली लम्बे समय से तलबी में लंबित है। प्राची को वार-2 निर्देशों के बावजूद भी प्राची द्वारा तलवाना सम्मत। तामीले पेश नहीं की जा रही है। निर्देशों की अपेक्षा भी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान दगावली में कोई अपेक्षा के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए दगावली पक्षकारान को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। दगावली में दिनांक 16.3.22 को जारी अन्तरिम अस्थाई विवेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। दगावली फैसल शुभार होकर हाजिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) </p>	